मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

–:: अधिसूचना ::–

भोपाल, दिनांक 25 /07/ 2024

क्रमांक 990 /2177196/24/सत्रह/ मेडि-2 ::राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संबंधित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के सफल संचालन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में "राज्य एड्स परिषद्" (Madhya Pradesh State Council on AIDS) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रमांक	विभाग प्रमुख एवं विभाग का नाम	नामांकित पद
1	अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)/ प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य	अध्यक्ष
2	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
3	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
4	मिशन संचालक, एन.एच.एम.	सदस्य
5	आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.	सदस्य
6	आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.	सदस्य
7	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
8	सचिव, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग विभाग	सदस्य
	सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य
10	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
11	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
12	सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
13	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
14	सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
15	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
16	सचिव, गृह विभाग	सदस्य
17	सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
18	सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
19	सचिव, पर्यटन विभाग	सदस्य
20	सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
22	सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	सदस्य
23	सचिव, जनजातीय कार्य विभाग	सदस्य
24	राज्य अधिकारी, यूएनएफपीए	सदस्य
25	अध्यक्ष / सचिव, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं उद्योग संगठन	सदस्य
26	अध्यक्ष / सचिव, रेड क्रॉस सोसायटी / रोटरी क्लब / लायन्स क्लब	सदस्य
27	प्रतिनिधि, एफबीओ / सीएसओ / एनजीओ	सदस्य
28	पॉजिटिव नेटवर्क (PLHIV) के प्रतिनिधि सदस्य	सदस्य

परिषद की गतिविधियों एवं बैठकों के आयोजन हेतु परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति संयोजक होंगे।

निरंतर.....

"राज्य एड्स परिषद्" के गठन का उद्देश्य—

- राज्य एड्स परिषद् का मुख्य कार्य शासन के विभिन्न विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करना, साथ ही राज्य में एचआईवी/एड्स कार्यक्रम में उनकी भागीदारी/साझेदारी तय करना।
- एचआईवी/एड्स के लिए परामर्श, परीक्षण, और उपचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, विद्यमान बुनियादी स्वास्थ्य संरचना में एचआईवी/एड्स को इंटीग्रेट करना।
- एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु संसाधनों का प्रावधान करना, विशेषकर विधवाओं और एचआईवी से संक्रमित/प्रभावित बच्चों हेतु।
- एचआईवी संक्रमित माता से शिशु को होने वाले एचआईवी संक्रमण की रोकथाम को प्रोत्साहित करना।
- The People Living with HIV (PLHIV)/ Most-at-risk populations (MARPs) के प्रति हो रहे भेदभाव की रोकथाम हेतु शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
- एचआईवी से प्रभावित अनाथ और संक्रमित बच्चों की शिक्षा एवं पोषण हेतु विशेष योजनाओं का संचालन करना।

इस परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम 02 अथवा 01 बार बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाना होगी। जिसमें लिए गए निर्णयों के पालन हेतु संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्य पाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(सुरभि गुप्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 99 - 1/2177196/2024/लस्वा/चि/2-2 भोपाल, दिनांक 25/07/2024

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, की ओर अवगत कराये जाने हेतु।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विभाग, की ओर सूचनार्थ ।

---

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. निज सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय
3. मुख्य सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय।
4. सर्व संबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाईल।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय